भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3464
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वित्तीय लाभ

†3464. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी के रूप में पहचान किए जाने के बजाय उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी मानने के गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय की जांच की है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को कम से कम 30,000/- रुपए या उससे अधिक करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के रूप में नाममात्र की राशि मिल रही है और वे किन्हीं अन्य लाभों के हकदार नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) मंत्रालय ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय की समीक्षा की है तथा उसे चुनौती देने का निर्णय लिया है।

(ख): ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ): आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्ल्यूएच) स्थानीय समुदाय से "मानदेय कार्यकर्त्री" हैं जो समुदाय की सहायता करने के लिए बाल देखभाल और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं। इसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। भारत सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं के मानदेय में समय-समय पर वृद्धि करती है। दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से भारत सरकार ने मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह; मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह कर दिया है; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह कर दिया है। साथ ही आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 250 रुपये प्रति माह एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 500 रुपये का कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन शुरू किया है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी दे रहे हैं जो अलग –अलग राज्य में अलग-अलग हैं। इसका विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों(एडब्ल्यूडब्ल्यू) एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं(एडब्ल्यूएच) को प्रोत्साहन एवं उत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय/पहलें की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाले आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों को पूरा करने के अधीन 5 वर्ष के अनुभव वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं।

ii. सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों / आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (जीवन जोखिम, किसी भी कारण

से मृत्यु शामिल) के जीवन कवर के लिए बीमा लाभ प्रदान किए गए हैं एवं 18-59 वर्ष के आयु वर्ग में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2.00 लाख रुपये (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) के दुर्घटना कवर के लिए बीमा का लाभ दिया गया हैं ।

iii. (iii) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत स्वयं का नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करें। यह वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है ।

iv. सेवानिवृत्ति की तारीख : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन योजना सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तारीख अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।

v. अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज देने की घोषणा की गई है।

सरकार ने सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को नियमित आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने के आदेश जारी किए हैं। इससे देशभर में इन मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का कार्यभार साझा करने के लिए एक आंगनवाड़ी सहायिका मिल जाएगी।

इसके अलावा, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, कार्यबोझ को कम करने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से आईटी सिस्टम का लाभ उठाया गया है, जिसके फलस्वरूप आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा तैयार और उपयोग किए जाने वाले ग्यारह में से नौ भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल और स्वचालित हो गए हैं।

******

अनुलग्नक

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वित्तीय लाभ विषय के संबंध में एडवोकेट अद्वूर प्रकाश और एडवोकेट गोवावाल कागदा पडावी द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3464 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

क्रम सं	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार,उनके द्वारा स्वयं के स्रोतों से दिए जा रहे अतिरिक्त प्रोत्साहन/मानदेय (प्रति माह) रु.में	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	आंगनवाड़ी सहायिका
1	आंध्र प्रदेश	7000	4750
2	बिहार	2500	1725
3	छत्तीसगढ़	5500	2750
4	गोवा	5500 (0-10 वर्ष का अनुभव), 6000 (10-15 वर्ष का अनुभव), 8000 (15 से 20 वर्ष का अनुभव) 10000 (20-25 वर्ष का अनुभव) और 12000 (25 वर्ष और इससे अधिक का अनुभव)	3000 (0-5 वर्ष का अनुभव), 3500 (5-10 वर्ष का अनुभव), 4000 (10 से 15 वर्ष का अनुभव) 4500 (15-20 वर्ष का अनुभव) 5250 (20 से 25 वर्ष का अनुभव)और 6000 (25 वर्ष और इससे अधिक का अनुभव)
5	गुजरात	5500	3250
6	हरियाणा	9500 (एडब्ल्यूडब्ल्यू 10 वर्ष से अधिक का अनुभव) 9000 (एडब्ल्यूडब्ल्यू 10 वर्ष से कम सेवा/अनुभव) 9000 (मिनी एडब्ल्यूडब्ल्यू) 4000 प्ले स्कूलों (अपग्रेडेड आंगनवाड़ी केन्द्रों) में कार्यरत 4000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।	5250
7	हिमाचल प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 5000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 2950	3100
8	जम्मू एवं कश्मीर	600	300
9	झारखंड	5000 (मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र) और 6000 (मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र)	2500
10	कर्नाटक	6500	4000

11	केरल	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली को 8000/- रुपये तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली को 8500/- रुपये	5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली का 6250/- रुपये और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली का 6750/- रुपये
12	मध्य प्रदेश	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 8500 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3750	4250
13	महाराष्ट्र	5500 (10 वर्ष तक का अनुभव) 5800 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 5900 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 6000 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)	3250 (10 वर्ष तक का अनुभव) 3415 (11 से 20 वर्ष का अनुभव), 3470 (21 से 30 वर्ष का अनुभव), 3525 (31 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव)
14	ओडिशा	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1875	1500
15	पंजाब	5000 (प्रति वर्ष 500 रुपये की वृद्धि)	3100 (प्रति माह 250 की वृद्धि)
16	राजस्थान	4554	3036
17	तमिलनाडु	10502	6596
18	तेलंगाना	9150	5550
19	उत्तर प्रदेश	1500	750
20	उत्तराखंड	4800-एडब्लूडब्लू और 2750-मिनी एडब्लूडब्लू	3000
21	पश्चिम बंगाल	3750	4050
22	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7500	5750
23	चंडीगढ़	3600	1800
24	दादरा और नगर हवेली/दमन एवं दीव	1000	600
25	लक्षद्वीप	5500	4750
26	दिल्ली	8220	4560
27	पुदुचेरी	1950	2125
28	अरुणाचल प्रदेश	16.01.2024 से 2000+ 1000 अर्थात	16.01.2024 से 2000+ 1000 अर्थात
29	असम	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 2000 और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 1250	1000
30	मणिपुर	1000	600
31	मेघालय	मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 3000 और मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए 1500	1000

32	मिजोरम	450	250
33	नागालैंड	0	0
34	सिक्किम	7000	4500
35	त्रिपुरा	5946 (अधिकतम) और 3500 (न्यूनतम)	4218 (अधिकतम) और 2750 (न्यूनतम)
36	लद्दाख	1300	650

****